न्यायालय सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : डॉ. प्रतिभा सिंह, आई.ए.एस.

विभागीय अपील संख्या 01/2024

अपीलांट	**बनाम**	**रेस्पोटेन्ट**
सताराम, पूर्व पटवारी, पटवार मण्डल सडा हाल– भू0अ0निरीक्षक, पायला कलां, तहसील– सिणधरी, जिला–बालोतरा		जिला कलेक्टर (भू0अ0) बाड़मेर

विभागीय अपील अन्तर्गत नियम 23 राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियम एवं अपील) नियम 1958 विरूद्ध आदेश जिला कलेक्टर (भू0.अ0) बाड़मेर के क्रमांक प.14 (195)(01)/भू0अ0/वि0जॉ/2017/1465 दिनांक 16.03.2002 जिसके द्वारा सीसीए 16 के तहत अपीलान्ट को परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया।

उपस्थितिः––

1. **अपीलान्ट स्वयं उपस्थित।**
2. **विभागीय पैरोकार तहसीलदार, सिणधरी उपस्थित।**

निर्णय

दिनांकः 24 अप्रेल,2025

1. अपीलान्ट ने यह विभागीय अपील नियम 23 राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियम एवं अपील) नियम 1958 के तहत जिला कलेक्टर (भू0.अ0) बाड़मेर के द्वारा पारित आदेश कमांक प.14 (195) (01)/भू0अ0/वि0जॉ/2017/1465 दिनांक 16.03.2002, जिसके द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध सीसीए 16 के तहत कार्यवाही सम्पादित करते हुए अपीलान्ट को परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया है, दिनांक 22.8.2022 को पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर जिला कलेक्टर बाडमेर से अपील पर टिप्पणी एवं उनका मूल अभिलेख तलब किया गया।

3. तत्पश्चात उपस्थित अपीलान्ट एवं विभागीय पैरोकार तहसीलदार, सिणधरी को सुना गया। अपीलान्ट ने दौराने सुनवाई अपील में अंकित तथ्यों अनुसार मुख्य रूप से यह कथन किया कि अपीलान्ट के पटवार मण्डल सडा तहसील सिणधरी में पदस्थापन रहने के दौरान श्रीमान जिला कलेक्टर, बाडमेर ने ज्ञापन कमांक 334 दिनांक 22.01.2019 के द्वारा अपीलान्ट को निम्न आरोपों से आरोपित किया:–

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

आरोप संख्या एक–

आप पटवार मण्डल सडा में पटवारी के पद पर माह अगस्त, 2000 से जून, 2001 एवं मार्च, 2006 से जून, 2006 तथा जनवरी, 2007 से नवम्बर, 2014 तक कार्यरत रहे। ग्राम पंचायत सडा ने दिनांक 26.12.1999 को पटवार मण्डल सडा के नाम 1594 वर्गगज भूमि का पटटा निःशुल्क जारी किया। आपने पूर्व पट्टे को निरस्त करवाये बिना ही बदनियतीपूर्वक दिनांक 12.11.2011 को ग्राम पंचायत सडा को पटवार भवन के नाम से पट्टा बनवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें आपने पटवार मण्डल सडा की पट्टाशुदा भूमि 1594 वर्गगज भूमि को खुर्दबुर्द कर 975.67 वर्गगज भूमि बताकर ग्राम पंचायत सडा से दिनांक 21.12.2011 को नया पट्टा बनवाया। आपने उक्त अनैतिक कार्य श्री गिरधारीराम वल्द जीयाराम जाट निवासी– सडा धनजी से मिलीभगत कर व सांठ–गांठ कर बदनियतीपूर्वक उसको अनुचित लाभ पहुंचाने की नियत से किया है। आपका यह दुष्कृत्य कर्तव्यहीनता का द्योतक और राजकीय सम्पति को खुर्दबुर्द का है, जो निन्दनीय है।

आरोप संख्या दो–

आप पटवार मण्डल सडा में पटवारी के पद पर माह अगस्त, 2000 से जून, 2001 एवं मार्च, 2006 से जून, 2006 तथा जनवरी, 2007 से नवम्बर, 2014 तक कार्यरत रहे। ग्राम पंचायत सडा ने दिनांक 26.12.1999 को पटवार मण्डल सडा के नाम 1594 वर्गगज भूमि का पटटा निःशुल्क जारी किया। आपके आवेदन पर ग्राम पंचायत सडा ने दिनांक 21.12.2011 को पटवार भवन सडा के नाम 975.67 वर्गगज भूमि का नया पट्टा जारी किया। दोनो ही मूल पट्टे न तो आपने चार्ज में दिये और न ही पटवार भवन में रिकार्ड में मिले है। दोनों मूल पट्टे आपने गायब किये है। आपने श्री गिरधारीराम से सांठ–गांठ कर बदनियतीपूर्वक उसको अनुचित लाभ पहुंचाने की नियत से दोनों मूल पट्टे गायब किये है। आपका यह अनैतिक कार्य कर्तव्यहीनता का द्योतक है, जो निन्दनीय है।

4. अपीलान्ट ने यह कथन किया कि उक्त आरोप पत्र मुझ अपीलान्ट को दिनांक 11.02.2019 को प्राप्त हुआ तथा अपीलान्ट के द्वारा उक्त ज्ञापन/नोटिस का प्रत्युतर दिनांक 20.06.2019 को प्रस्तुत किया जाकर आरोपित आरोपों को अस्वीकार करते हुए संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त करने एवं आरोप मुक्त करने का निवेदन किया था, जिस पर जिला कलेक्टर महोदय बाडमेर ने अपने आदेश दिनांक 23.07.2019 के द्वारा प्रकरण में विस्तृत जॉच करवाने हेतु उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी को जॉच अधिकारी नियुक्त किया

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

गया। जॉच अधिकारी ने जॉच कार्यवाही पूर्ण करते हुए अपना जॉच प्रतिवेदन जिला कलेक्टर बाडमेर को दिनांक 7.1.2022 को प्रेषित किया गया था। उक्त जॉच प्रतिवेदन में अपीलान्ट पर आरोपित आरोपों को प्रमाणित नहीं माना था। जिला कलेक्टर, बाडमेर के द्वारा उक्त जॉच रिपोर्ट को अनदेखा करते हुए अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.03.2022 के द्वारा अपीलान्ट को परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया है जिसके विरूद्ध यह विभागीय अपील श्रीमान न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 17.08.2022 को प्रस्तुत की गई है।

5. अपीलान्ट ने दौराने सुनवाई यह कथन किया कि अपीलान्ट के विरूद्ध सम्पादित की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही पूर्ण रूप से एकपक्षीय सम्पादित की गई है क्योंकि अपीलान्ट को जॉच प्रतिवेदन पर अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई की गई, मात्र पत्रावली के अवलोकन के आधार पर दण्डित कर दिया गया, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना में आता है। इसके अलावा अपीलान्ट के विरूद्ध तैयार किया गया प्रकरण तत्कालीन तहसीलदार से अपीलान्ट की अनबन हो जाने पर उनके द्वारा ईष्या रखते हुए द्वेषभावना के आधार पर अपीलान्ट को परेशान करने की नियत से प्रकरण बना कर श्रीमान जिला कलेक्टर को प्रेषित कर दिया गया। अपीलान्ट के विरूद्ध दोनों आरोप एक ही विषयवस्तु के होने के बावजूद अलग–अलग आरोप बनाकर आरोपित कर दिया गया है जो निरस्त योग्य है।

6. अपीलान्ट ने दौराने सुनवाई यह भी कथन किया कि अपीलान्ट ने श्रीमान जिला कलेक्टर को प्रस्तुत किये गये जवाब में यह अंकित किया था कि पटवार मण्डल कौशलू में पटवारी के पद पर कार्यरत रहते हुए उनके पास पटवार मण्डल सडा का चार्ज भी दिया हुआ था, जो कि दिनांक 31.7.2020 को प्रथम बार प्राप्त किया गया था। उक्त चार्ज में पटवार भवन के पट्टे की कोई प्रति सौंपी नहीं गई थी और न ही पूर्व में पट्टा जारी हो जानने की जानकारी दी गई। जब अपीलान्ट ने पटवार भवन का चार्ज लिया तब पटवार भवन की चारदीवारी बनी हुई थी जिसके तीन तरफ पक्की दीवार थी तथा एक तरफ कांटो की बाड़ थी। उस समय भी गिरधारीराम का पटवार भवन की चारदीवारी के बाहर पूर्व दिशा में आबादी भूमि में कब्जा था, मेरे कार्यकाल में उनके द्वारा कब्जा नहीं किया गया था, वो पूर्व से ही काबिज था, ऐसे में मेरे द्वारा गिरधारीराम को कोई अनुचित लाभ नहीं पहुंचाया गया था।

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

7. अपीलान्ट ने दौराने सुनवाई यह भी कथन किया कि अपीलान्ट के द्वारा आरोप संख्या 02 का यह प्रत्युतर प्रस्तुत किया गया था कि वर्ष 2011 में ग्राम पंचायत सडा ने अटल सेवा केन्द्र का निर्माण शुरू किया जो कि पटवार भवन के दक्षिणी–पश्चिमी कोने पर था, जिसमें पटवार भवन की आंशिक भूमि पर अतिक्रमण हो रहा था, जिसे अपीलान्ट ने रूकवाने की कोशिश की तो उन्होने उक्त भूमि आबादी व ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में होने से काम नहीं रोका, तो मैने उक्त पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन कर पट्टा प्राप्त किया जिससे भविष्य में उक्त भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं हो सके। उक्त पट्टे बाबत मेरे द्वारा तत्कालीन ग्राम सेवक से पूछताछ करने पर उन्होंने भी पूर्व का कोई पट्टा नहीं होना बताया। पट्टा जारी करते समय सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा पूर्ण जॉच पड़ताल उपरान्त पूर्व में पट्टा जारी नहीं होने की स्थिति में पट्टा जारी करवाने की कार्यवाही की जाती है, यदि उनकों भी इसकी जानकारी होती तो नया पट्टा जारी नहीं होता।

8. अपीलान्ट ने दौराने सुनवाई यह भी कथन किया कि अपीलान्ट के द्वारा पटवार मण्डल का चार्ज देते समय पट्टा राजस्व रिकार्ड में नहीं होने से उक्त पट्टा चार्जसूची में शामिल नहीं किया गया था। पटवार भवन के रेकर्ड में शामिल नहीं होने से उसे व्यक्तिगत रूप से सम्बन्धित पटवारी को सुपुर्द किया गया था। अपीलान्ट द्वारा पट्टा प्राप्त करने सम्बन्धी कार्य बदनियतीपूर्वक या अनैतिक रूप से नहीं किया गया बल्कि सरकारी भूमि पर भविष्य में अतिक्रमण नहीं हो, इसलिये पट्टा हेतु आवेदन किया था। अपीलान्ट के द्वारा जवाब के संलग्न चार्ज सूची भी पेश की गई थी। इसके अतिरिक्त यदि पूर्व में उल्लेखित भूमि का पट्टा बना हुआ था तो ग्राम पंचायत एवं ग्राम सेवक को उनके कार्यालय की पट्टे की प्रति रखी होने की जानकारी रहती और वे अपीलान्ट की ओर से पट्टे हेतु पेश आवेदन को खारिज करवा सकते थे। ऐसे में केवल मात्र पट्टा हेतु आवेदन कर दिये जाने से अपीलान्ट को दोषी करार दिया जाना उचित नहीं था।

9. अपीलान्ट ने दौराने सुनवाई यह भी कथन किया कि जिला कलेक्टर महोदय द्वारा अपीलान्ट को न तो कोई व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया था और न ही विस्तृत जॉच प्रतिवेदन पर अपीलान्ट एवं विभागीय प्रतिनिधि से प्रत्युतर प्राप्त किया गया, जिला कलेक्टर महोदय द्वारा अपीलाधीन आदेश में मात्र अन्तिम पैरा में यह अंकित कर दिया गया कि ''आरोपी कार्मिक का जवाब, तहसीलदार की टिप्पणी एवं उपखण्ड अधिकारी से

न्यायालय सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

प्राप्त जॉच प्रतिवेदन व पत्रावली का गंभीरता से अवलोकन/अध्ययन करने के आधार पर कार्मिक को परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया जाता है। जो विधि के अनुकूल नहीं होने से निरस्त योग्य है। अपीलान्ट द्वारा आरोपित आरोप के सम्बन्ध में नियुक्त विभागीय जॉच अधिकारी के समक्ष भी लिखित जवाब पेश किया गया था व साक्ष्य दस्तावेज पेश किये गये थे। जॉच अधिकारी के द्वारा आरोपित आरोप संख्या एक को प्रमाणित नहीं माना गया था तथा आरोप संख्या 02 को पूर्ण रूप से प्रमाणित नहीं माना गया था और जॉच कार्यवाही में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए कार्यवाही को पंजीबद्ध करने की अनुशंषा की थी। इसके उपरान्त भी जिला कलेक्टर महोदय ने अपीलाधीन आदेश में बिना कोई ठोस कारण दर्शाये अपीलान्ट को परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित कर दिया गया, जो किसी भी प्रकार से न्याय की दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.03.2022 को निरस्त किया जाकर अपीलान्ट को दोषमुक्त किया जावें।

10. प्रत्युतर में दौराने बहस उपस्थित रहे विभागीय पैरोकार श्री ओम अमृत, तहसीलदार सिणधरी ने जिला कलेक्टर बाडमेर के द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध पारित किये गये परिनिन्दा के दण्ड को यथावत बहाल रखे जाने का निवेदन किया।

11. विभागीय पैरोकार ने दौराने सुनवाई यह कथन किया कि अपीलान्ट पटवारी के पद पर पटवार मण्डल सडा में कार्यरत रहने के दौरान उनके द्वारा दिनांक 12.11.2011 को ग्राम पंचायत सडा से 975.57 वर्गगज का पट्टा बनवाया गया। लम्बे समय तक पटवार मण्डल में नियुक्त रहने पर अपेक्षा की जाती है कि पटवारी को समस्त कार्यो की जानकारी प्राप्त है। अपीलान्ट द्वारा अपने स्तर पर सीधे ही ग्राम पंचायत को पट्टा बनवाये जाने हेतु दिनांक 12.11.2011 को प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करना कार्यालय प्रकिया के विरूद्ध है जबकि उन्हें तहसीलदार के मार्फत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना था। तहसीलदार के मार्फत प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत को जाता तो ग्राम पंचायत द्वारा तहसीलदार को पूर्व के जारी पट्टे के सम्बन्ध में जानकारी अवश्य दी जाती। इसके अलावा पटवार भवन का पट्टा चार्ज में नहीं देना भी पटवारी/अपीलान्ट की लापरवाही है। पूर्व में बना पट्टा भी चार्ज में नहीं दिये जाने से किसी की जिम्मेदारी तय नहीं हो सकी है। पट्टा भी राजस्व रेकर्ड के समान ही है। चार्ज में रिकार्ड अगर लिखित में नहीं दिया जाता है तो प्राप्तकर्ता अपने दायित्व से मुक्त रहता है। अपीलान्ट को पट्टे को चार्ज लिस्ट में दर्ज किया जाना था जो नहीं किया गया है।

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

12. विभागीय पैरोकार ने दौराने सुनवाई यह भी कथन किया कि श्रीमान जिला कलेक्टर के द्वारा अपीलान्ट पर आरोपित आरोप अनुसार कार्मिक पटवारी को परिनिन्दा से दण्ड से दण्डित किया गया, उसे यथावत रखा जावें।

13. हमने अपीलान्ट एवं विभागीय पैरोकार के द्वारा दौराने बहस प्रकट किये गये तथ्यों पर गहनता से चिंतन मनन किया तथा अपील, जिला कलेक्टर, बाडमेर की पत्रावली का बगौर अवलोकन किया, जिससे यह पाया गया है कि जिला कलेक्टर बाडमेर के द्वारा अपीलान्ट पर आरोपित आरोपों के सम्बन्ध में सीसीए नियम 16 के तहत कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए, उपखण्ड अधिकारी सिणधरी को जॉच अधिकारी नियुक्त करते हुए विभागीय जॉच कार्यवाही सम्पादित करवाई गई है। जॉच अधिकारी के द्वारा आरोपित आरोप संख्या 01 को प्रमाणित नहीं माना तथा आरोप संख्या 02 पूर्ण रूप से प्रमाणित नहीं होना बताया है। तत्पश्चात कलेक्टर, बाडमेर के द्वारा अपीलान्ट को परिनिन्दा के दण्ड के लघु दण्ड से दण्डित किया गया है।

14. इस विषय में विभागीय पैरोकार का कहना है कि अपीलान्ट के द्वारा पटवार मण्डल सडा का चार्ज हस्तान्तरण में न तो पूर्व पट्टे का चार्ज दिया गया है और न ही उनके द्वारा किये गये पट्टा प्राप्ति आवेदन अनुसार जारी किये गये पट्टे का चार्ज दिया जाना विभागीय पैरोकार तहसीलदार सिणधरी के द्वारा दौराने सुनवाई उल्लेखित किया गया है।

15. जिला कलेक्टर बाडमेर ने अपने जॉच निश्कर्ष में आरोप सिद्ध होते है, यह माना है और आरोप सिद्ध होना मानते हुए आरोपित पटवारी को परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया है लेकिन जिला कलेक्टर, बाडमेर द्वारा उक्त निर्णय पारित करते समय उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी द्वारा प्रस्तुत की गई जॉच रिपोर्ट का अपने निर्णय में न तो कहीं उल्लेख किया है और न ही इस रिपोर्ट के आधार पर निर्णय के समय की जाने वाली कार्यवाही में कन्सीडर किया है। आरोपित पटवारी का दौराने बहस यह भी कहना है कि जिला कलेक्टर बाडमेर द्वारा निर्णय पारित करते समय उसे विधिवत सुना भी नहीं गया और जॉच अधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन को अनदेखा करते हुए अपीलान्ट से जॉच प्रतिवेदन पर अभ्यावेदन/जवाब प्राप्त किये बिना ही अपीलान्ट को दोषी मानते हुए परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित कर दिया गया। इस प्रकार अपीलान्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही सम्पादित होना बताते हुए उसे अपना पक्ष समुचित तरीके से रखने का अवसर नहीं देना बताया है। इस प्रकार उल्लेखित तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

जाकर उपरोक्त प्रकरण जिला कलेक्टर, बाडमेर को प्रतिप्रेषित किया जाकर अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाकर सीसीए नियमों के तहत पुनः विधिवत कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जाना उचित रहेगा।

16. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के उपरान्त अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर जिला कलेक्टर, बाडमेर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.02.2022 को निरस्त करते हुए प्रकरण को जिला कलेक्टर, बाडमेर को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए सीसीए नियमों के तहत पुनः विधिवत कार्यवाही करते हुए पुनः यथोचित आदेश पारित करें। निर्णय आज दिनांक 24 अप्रेल, 2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय संभागीय आयुक्त जोधपुर

(डॉ0 प्रतिभा सिंह)
संभागीय आयुक्त
जोधपुर

संभागीय आयुक्त
जोधपुर